

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम .....

मा .....

नं० .....

सन् .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

10/06/25 बकुलाय उप० उभयपक्ष की प्रा० पत्र  
07/11/24 CPC पर कई अवसर बहस हेतु रिजे  
जाने के बावजूद भी बहस नहीं की गयी।  
फरखदप प्रा० पत्र 3/11/24 CPC पर उभयपक्ष  
बहस बंद की जाकर फरखदप वास्ते शारेय  
प्रा० पत्र 7/11/24 CPC रिनांक - 16/06/25 को  
प्रेष हो।

*Narej*  
उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा, (अखबार)


16/06/25  
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप०।  
बार का कार्य स्थगन है। पीछासीन  
अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त  
है। दिनांक 16/06/25 को पेश हो।

रीडर

17/06/25 पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से  
श्री फरखदीन खान के नेवकासत नामा पत्र  
कर धारणा-पत्र साबत किम जामे हुक्मना  
Not Press का पत्र किया। वकील वादी ने  
प्रकरण को नष्ट करने का कसूर किया। वादी के कसूर  
करने के बाद वादी वकील वादी के  
Not Press करने पर हुक्म मंजूर करवा  
किया जाता है। पत्रावली पेश होने के बाद  
से काम हो। वाक पूर्व जमा लंबे गणवत्ते।

NOT  
Press

दि. 3. 2025



1 deputy  
*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अखबार)